न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 52/2022 FSSA

1. सरकार जरिये श्री विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी तत्कालीन कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर राजस्थान हाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर।

— आवेदक—

बनाम

1. **Sh. Deen Dayal Tambi S/O Sh. Brij Bihari Lal Tambi**
   FBO M/S Khandelwal Provision Store, NH-11, Jaipur Agra Road, Hadiya,Mahuwa Dausa.
2. **Seema Khandelwal Proprietor M/S Khandelwal Provision Store, NH-11, Jaipur Agra Road, Hadiya, Mahuwa Dausa.**

— अभियुक्तगण—

(परिवाद अन्तर्गत धारा 52 एफएसएस एक्ट 2006)

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 15.02.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि परिवादी श्री विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे है। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.8.2011 द्वारा केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त(खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर में पदस्थापित है। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का स्थानीय क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य का है। जिसका गजट नोटिफिकेशन दिनांक अप्रेल 11, 2012 के गजट भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.08.2021 को 02:30 **PM** पर मैसर्सः—**M/S Khandelwal Provision Store, NH-11, Jaipur Agra Road, Hadiya, Mahuwa Dausa** पहुँचा। वहां पर श्री दीन दयाल ताम्बी पुत्र श्री बृजबिहारी लाल ताम्बी उपस्थित मिला। श्री दीन दयाल ताम्बी को अपना परिचय देकर परिचय पूछने पर श्री दीन दयाल ताम्बी ने स्वयं को **M/S Khandelwal Provision Store, NH-11, Jaipur Agra Road, Hadiya, Mahuwa Dausa** का खाद्य कारोबारकर्ता होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी रजिस्ट्रेशन तथा स्वयं व गवाह के आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षर प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु **Pickle(Packed)** केर का सरसों तेल से निर्मित 500—500 ग्राम से के 20 पैक रैक में रखे हुये थे। उक्त **Pickle(Packed)** केर का सरसों तेल से निर्मित का अमानक/मिथ्याछाप होने का शक होने पर 500 ग्राम के 4 पैक खाद्य कारोबारकर्ता श्री दीनदयाल ताम्बी को सूचित करते हुये वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे। जिसकी कीमत श्री दीन दयाल ताम्बी को 600/—रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर करवाकर गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्य

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री दीन दयाल ताम्बी एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Pickle(Packed)** केर का सरसों तेल से निर्मित 500 ग्राम के 4 पैकेटो पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. दौसा के कोड एवं क्रमांक एजी–2992 अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एजी–2992 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारों नमूना भागो के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री दीन दयाल ताम्बी एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक जयपुर से उक्त खाद्य पदार्थ **Pickle(Packed)** केर का सरसों तेल से निर्मित की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस./2679/एक्ट/2022/2713 दिनांक 7.9.2022 प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया यह खाद्य पदार्थ **Pickle(Packed)** केर का सरसों तेल से निर्मित मिसब्राण्ड पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 न्यायालय में नियत पेशी दिनांक पर उपस्थित आये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./2679/एक्ट/2022/2713 दिनांक 7.9.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Pickle(Packed)** केर का सरसों तेल से निर्मित का नमूना **Regultion No. 5(1)(Name of Food), 5(2)(List of Ingredients), 5(4)(Veg symbol), 5(6)(Name and complete address), 5(7)(Fssai logo and license number),5(8)(Net quantity), 5(9)(Lot/code/batch)**, तथा **5(10)(Date marking) of FSS Labelling and Display Regulation 2020** के अनुसार नमूने के लेबल पर उपरोक्त नियमानुसार किसी भी प्रकार की जानकारी अंकित नहीं किये जाने के कारण जांच रिपोर्ट में यह मिसब्राण्ड घोषित किया गया है। जो कि एफएसएसए 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन है। अप्रार्थी अभियुक्तगण ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ **Pickle(Packed)** केर का सरसों तेल से निर्मित का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(II)(V) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 52 में वर्णित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी अभियुक्तगण को उचित जुर्माने के दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण संख्या : 52 / 2022 FSSA

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 नियत पेशी दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित आये एवं बहस के दौरान निवेदन किया गया कि हमारे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **Pickle(Packed)** केर का सरसों तेल से निर्मित का उत्पादन नहीं किया जाता है। उत्पादनकर्ता से पैक माल खरीदकर पैक ही विक्रय कर दिया जाता है। भविष्य में नियमानुसार लेबल युक्त माल खरीदकर ही विक्रय किया जायेगा। नियमों की जानकारी के अभाव में हुई गलती को माफ करते हुये प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 2679 / एक्ट / 2022 / 2713 दिनांक 7.9.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Pickle(Packed)** केर का सरसों तेल से निर्मित का नमूना एफएसएसए **Labelling & Display Regulation 2020** एवं एफएसएसए 2006 की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** का उल्लंघन होने के कारण मिथ्याछाप **(MisBranded)** पाया गया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ **Pickle(Packed)** केर का सरसों तेल से निर्मित मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 श्री **Sh. Deen Dayal Tambi S/O Sh. Brij Bihari Lal Tambi FBO M/S Khandelwal Provision Store, NH-11, Jaipur Agra Road, Hadiya,Mahuwa Dausa** व अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 **Sh. Seema Khandelwal Proprietor M/S Khandelwal Provision Store, NH-11, Jaipur Agra Road, Hadiya, Mahuwa Dausa** पर 10000 / — (अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 15.02.2023 के एक माह के अन्दर—अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / FSSA/ दिनांकः— 15.02.2023

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. **Sh. Deen Dayal Tambi S/O Sh. Brij Bihari Lal Tambi FBO M/S Khandelwal Provision Store, NH-11, Jaipur Agra Road, Hadiya,Mahuwa Dausa-321608**
4. **Seema Khandelwal Proprietor M/S Khandelwal Provision Store, NH-11, Jaipur Agra Road, Hadiya, Mahuwa Dausa-321608**

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा